

निगरानीकर्ता उपस्थित। निगरानीकर्ता ने जरिये अधिवक्ता  
 प्रथम पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता उक्त  
 निगरानी में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं निगरानी को  
 मौजूदा स्तर में ही दाखिल दफ़तर करवाना चाहता है। अतः  
 प्रथम पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अनवानी निगरानी  
 मौजूदा स्तर में ही दाखिल दफ़तर करमायी जावे। अतः  
 निगरानीकर्ता के द्वारा स्वयं निगरानी नहीं चलाने पर निगरानी  
 खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति संबन्धित ग्राम पंचायत  
 को भजी जावे। पत्रावली फ़सला ग्रामार की जाकर बाद तकमील  
 दाखिल दफ़तर हो।

आदेश सुनाया गया।

**श्री निराला कारख़ाना (निगम)**  
**अधीनस्थ निगरानी**

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten notes)*  
 08/11/20  
 21/11/20  
 21/11/20